



राँची नगर निगम, राँची

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	नगर निगम सेवा शुल्क प्रतिमाह (रु.में)
1.	आवासीय भवन	
	EWS	20/-
	LIG	30/-
	MIG	50/-
	HIG	80/-
2.	ढाबा के लिए	350/-
3.	होटल / गेस्ट हाउस / होस्टल	
	10 रुम तक	1000/-
	11-20 रुम तक	1500/-
	21-30 रुम तक	2000/-
	30-50 रुम तक	5000/-
	50 से उपर रुम	10000/-
4.	5 स्टार एवं उससे उपर	15000/-
	धर्मशाला	800/-
5.	रेस्तरा के लिए	1500/-
6.	बेकरी फुड कोर्ट एवं बैकरी के आउटलेट्स	1000/-
7.	स्वीट शॉप	1000/-
8.	फास्ट फूड	500/-
9.	ठेला / खोमचा इत्यादि	200/-
10.	पान तथा चाय दुकान	100/-
11.	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स AC	10000/-
12.	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स Non-AC	5000/-
13.	कारखाना, कार्यशाला एवं उद्योग	
	घरेलू एवं लघु	500/-
	मध्यम	2000/-
	बड़े	5000/-
14.	दुकान	
	होलसेल दुकान	1500/-

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	नगर निगम सेवा शुल्क प्रतिमाह (रु.में)
	मुख्य बाजार का दुकान	1000/-
	मोहल्ला का दुकान	250/-
	अन्य दुकान	150/-
15.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अपख्राष्टों के लिए)	1500/-
16.	सब्जी एवं फल दुकान	200/-
17.	कार्यालय के लिए	
	2 रुम तक 10 m2	100/-
	3-5 रुम 25 m2	250/-
	6-10 रुम 50 m2	1000/-
	11-20 रुम 100 m2	1500/-
	20 से उपर रुम के लिए	2500/-
	100 m2	
18.	अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	
	बिना बेड का	400/-
	20 बेड तक	5000/-
	20-50 बेड तक	10000/-
	50 से उपर	20000/-
19.	स्कूल, कोचिंग तथा शैक्षणिक संस्थान	
	सरकारी	200/-
	गैर सरकारी	1000/-
	आवासीय 50 रुम तक	2000/-
20.	आवासीय 50 रुम से अधिक	5000/-
	शादी विवाह स्थल/उत्सव पर	
	3000 वर्ग मीटर तक	2500/-
21.	3000 वर्ग मीटर से अधिक	5000/-
	अन्य जो उपर वर्णित नहीं है।	नगर निकाय के आकलन के अनुसार

यदि कोई व्यक्ति या संस्था नगर निगम सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करता है एवं किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता है या जमा करता है या फेंकता है तो इसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा उन्हें मौके पर ही जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा।



जरूरी सूचना - किसी भी प्रकार का भुगतान करने के पश्चात रशीद जरूर से लें।